हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 13) का संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

धारा 2 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(चक) "सामूहिक धर्म परिवर्तन" से, ऐसा धर्म परिवर्तन अभिप्रेत है जहाँ एक ही समय पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन किया है;''।

धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,––

(क) परन्तुक में "सात वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि जो कोई भी उसके द्वारा माने जाने वाले धर्म से अन्यथा किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से विवाह

WWW.LIVELAW.IN

करना चाहता है और अपने धर्म को ऐसी रीति में छिपाता है कि अन्य व्यक्ति, जिससे वह विवाह करना चाहता है, विश्वास करता है कि उसका धर्म वास्तव में वही है जोकि उसका है तो वह ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, से दण्डनीय होगा और वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा, संदत्त करने का भी दायी होगाः

परन्तु यह और भी कि जो कोई सामूहिक धर्म परिवर्तन की बाबत धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख पचास हजार रुपये तक हो सकेगा, संदत्त करने का भी दायी होगाः

परन्तु यह और भी कि यदि इस धारा में वर्णित कोई द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध किया जाता है तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने से, जो एक लाख पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपये तक हो सकेगा, संदत्त करने का भी दायी होगा।"।

धारा 7 का संशोधन।

4. धारा 7 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (1) में "कपटपूर्ण साधनों के बिना "धर्म परिवर्तन कर रहा है" शब्दों के पश्चात् "और इस प्रभाव की उद्घोषणा करेगा कि वह धर्म परिवर्तन के पश्चात् अपने मूल धर्म या जाति की कोई प्रसुविधा नहीं लेगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

WWW.LIVELAW.IN

(ख) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"5क. जो कोई उपधारा (1) के अधीन मिथ्या उद्घोषणा करता है, या जो धर्म परिवर्तन के पश्चात् अपने मूल धर्म या जाति की प्रसुविधा लेना जारी रखता है, ऐसी अवधि के लिए कारावास जो दो वर्ष से कम की नहीं होगी और जो पांच वर्ष तक का हो सकेगी से दण्डनीय होगा और जुर्माने, जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा और जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा, संदत्त करने का दायी होगा।"।

धारा 8क का अन्तःस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"8क. धर्म परिवर्तन के विरूद्ध की गई शिकायत के सम्बन्ध में जांच या अन्वेषण.––पुलिस उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी इस निमित्त प्राप्त हुई शिकायतों की जांच या अन्वेषण नहीं करेगा।"।

धारा 13 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 13 में "अजमानतीय" शब्द के पश्चात् "और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

WWW.LIVELAW.IN

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2019 धर्म की स्वतंत्रता को मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन को प्रतिषिद्ध करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपंबध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तथापि, उक्त अधिनियम में सामुहिक धर्मांतरण को नियंत्रित करने हेतु कोई उपबंध नहीं था। अतः इस प्रभाव का उपवंध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह भी उपवंध किया जा रहा है कि अधिनियम के अधीन प्राप्त शिकायतों की जांच और अन्वेषण उप–निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का विचारण सत्र न्यायालयों द्वारा किया जाएगा। अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु दण्ड–खण्डों में कुछ मामूली परिवर्तन किए जा रहे हैं

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जयराम ठाकुर)
मुख्य मन्त्री।

शिमलाः
तारीखः....., 2022

आदेशानुसार

मुख्य मन्त्री,
हिमाचल प्रदेश

वित्तीय ज्ञापन

शून्य

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

शून्य

WWW.LIVELAW.IN